भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 1047
(जिसका उत्तर शुक्रवार, 29 अप्रैल, 2016 को दिया गया)

<u>कंपनियों का पंजीकरण</u>

1047. श्री के. परसुरमन :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक ही दिन में कंपनियों के पंजीकरण हेतु किसी नई प्रणाली को तैयार किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार के पास एक ही दिन में कंपनियों को पंजीकृत करने की प्रमाणिकता को सुनिश्चित करने का कोई तंत्र है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरूण जेटली)**

(क): कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने एक नई कंपनी की शुरूआत के लिए "नाम उपलब्धता" आवेदनों पर कार्य करने के लिए एक नए केन्द्रीय पंजीकरण केन्द्र की स्थापना की है। यदि कहीं नाम उपलब्धता आवेदन कंपनी अधिनियम/नियमों के अनुसार है तो अगले कार्य दिवस के भीतर उसकी प्रक्रिया पूर्ण की जाती है।

(ख) और (ग): किसी पेशेवर जैसे कि कार्यरत अधिवक्ता/चार्टर्ड अकाउंटेंट/लागत लेखाकार/कंपनी सचिव से एक घोषणा पत्र और प्रमाण पत्र को प्राप्त करने से प्रमाणिकता सुनिश्चित की जाती है। इसके अतिरिक्त, संगत अनुच्छेद में नामित व्यक्ति जैसे कंपनी के निदेशक/प्रबंधक/सचिव को कंपनी अधिनियम और इसके तहत बने नियमों के तहत पंजीकरण के लिए सभी अपेक्षाएं पूर्णता सुनिश्चित करते हुए एक घोषणा पत्र देना होता है। इस संबंध में कोई भी गलत विवरण कंपनी अधिनियिम, 2013 की धारा 448 के तहत दंडनीय होता है।

*****